पूर्वी दिल्ली में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

1913. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने गत तीन वर्षों में कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए हैं, और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, कितने आवेदन पत्र बिना विचार किए ही रद्द कर दिए हैं क्रमश: नाम, आयु, जाति और पते सहित आवेदकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे विचाराधीन प्रमाण-पत्र आवेदकों को कब तक जारी कर दिए जायेंगे, प्रमाण-पत्रों को रद्द किए जाने के कारण क्या हैं और क्या उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छः से आठ माह लगते हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त मामले की आसूचना विभाग द्वारा जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को परेशान किए जाने संबंधी शिकायतें

1914. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के तंग करने व अपमानित करने के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं ;

(ख) ऐसी शिकायतों पर दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ;

(ग) शिकायतकर्ताओं के नाम एवं पते क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार शिकायतों पर कार्यवाही न करने वाले दोषी अधिकारियों को सजा देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं । [देखिए परिशिष्ट 153, अनुपत्र संख्या 80]

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

1915. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की कोई शिकायत संसद् सदस्य द्वारा किसी उच्च अधिकारी से की जाती है तो उक्त शिकायत की जांच वही कार्मिक करता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है; यदि हां, तो पुलिस स्टेशन, सीलमपुर दिल्ली के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, शिकायतकर्त्ताओं के नाम व पते क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मोहम्मद कासिम, झुग्गी ठेका, शास्त्री पार्क, सीलम पुर के निवासी के पुत्र द्वारा सीलमपुर पुलिस स्टेशन के एक सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध दर्ज कराई गई और 12 फरवरी, 1990 को एक संसद् सदस्य द्वारा पुलिस आयुक्त को अग्रेषित की गई शिकायत की जांच स्वयं उसी सहायक उप-निरीक्षक द्वारा की गई और उसे रद्द कर दिया गया; और

(ग) क्या सरकार संसद सदस्यों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच किसी उच्च अधिकारी अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इंदरीज पुत्र श्री काजिल अली (न कि मोहम्मद कासिम) निवासी झुग्गी ठेका शराब, बुलंद मस्जिद द्वारा एक सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है । सहायक पुलिस आयुक्त सीलमपुर को मामले की जांच पड़ताल करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण शिकायतों की जांच पड़ताल सतकर्ता, शाखा द्वारा की जाती है जो सीधे पुलिस आयुक्त के पर्यवेक्षण में कार्य करता है ।

Bodo students' demand for separate state of Bodoland

1916. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government of India has been drawn to the news item published on December 30, 1989 in the Times of India under the caption "Bhutan paid for Bodo areas";

(b) whether it is a fact that India is paying Rs. 5 lakhs to Bhutan for part of Bodoland;

(c) whether it is a fact that Dewangiri territory of Bodoland has been given to Bhutan; and

(d) what is the reaction of Government on the demand of Bodo Student's Union for a separate State of Bodoland?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No Sir. Dewangiri was originally part of Bhutan and was captured by the British in 1864 during the Anglo-Bhutan war. Under Article IV of the Treaty of Sinchula, Govt. of Bhutan ceded Dewangiri, along with other areas to the British Government. The latter agreed to pay an annual compensation for these areas. Under Article III of Indo-Bhutan Treaty of 1949, the Govt. of India agreed to make an annual payment of Rs. 5 lakhs in place of the compensation granted under the Treaty of Sinchula.

In response to repeated requests from the Government of Bhutan, the Govt. of India, under Article IV of the Indo-Bhutan Treaty of 1949, agreed to the return of Dewangiri to Bhutan to underline the friendship existing and continuing between the two Governments.

(d) the Government of India, on several occasions, have reiterated that it was not in favour of any further division of Assam. They are extending all necessary help and cooperation to the State Government of Assam for solving the problems of the Bodo/Plan Tribals.

Punjabi films televised by the Doordarshan

1917. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the number of Punjabi films televised by Doordarshan during the last three years;